39

समक्ष माननीय सदस्य राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश मुख्यालय ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /निगरानी/2018

निगरानी/सिवनी/भू.रा./2018/0812

1. राजपाल पुत्र स्व. शिवनाथ बघेल आयू लगभग 31 वर्ष
2. रामपाल उर्फ शिशुपाल पिता स्व. शिवनाथ बघेल आयू लगभग 23 वर्ष
3. रानी पुत्री स्व. शिवनाथ बघेल आयु लगभग 27 वर्ष
4. रेवती पुत्री स्व. शिवनाथ सिंह बघेल आयु लगभग 25 वर्ष

सभी निबासी ग्राम जेतपुर कला थाना लखनबाढा तहसील व जिला सिवनी मध्य प्रदेश

वनाम

रामरेखा बाई पत्नी ना मालूम निबासी ग्राम हिमरा थाना लखनबाड़ा तहसील जिला सिवनी मध्य प्रदेश

श्री ... द्वारा आज दि. 2.2.18 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 20.2.18 नियत।
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

निगरानी अंर्तगत धारा 50 मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 विरूद्व माननीय अपराध महोदय जबलपुर संभाग जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 0161/अपील/2016–17 (राजपाल व आदि वनाम रामरेखा बाइ) में पारित आदेश दिनांक 12.12.17

माननीय महोदय,

अपीलार्थी की अपील श्रीमान के समक्ष निम्नानुसार प्रस्तुत है।

प्रकरण के तथ्य :–

1. अपीलार्थीगण द्वारा एक आवेदन पत्र अंर्तगत धारा 110 मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 के तहत वसीयत के आधार पर अपने पिता स्व. शिवनाथ भघेल पुत्र स्व. हरलाल बागरी के स्थान पर अपना नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज कराने हेतु दिनांक 20.04.15 को प्रस्तुत किया था।

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - एक/निगरानी/सिवनी/भू.रा./2018/0812 **जिला** - सिवनी

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
20/02/2018	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री चन्द्रेश श्रीवास्तव उपस्थित। उन्हें ग्राह्यता के बिन्दु पर सुना गया। आवेदक अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया एवं आलोच्य आदेश का परिसीलन किया। यह प्रकरण नामांतरण का है। प्रकरण में अपर आयुक्त ने संपूर्ण तथ्यों का उल्लेख करते हुए आदेश पारित किया गया है। अपर आयुक्त ने यह स्पष्ट किया है कि तथाकथित अपंजीकृत वसीयत में वर्णित संपत्ति वसीयतकर्ता की स्वअर्जित है अथवा पैत्रिक इसका कोई हवाला नहीं है। उन्होंने राजस्व अभिलेखों के आधार पर विवादित भूमि को वसीयतकर्ता की पैत्रिक संपत्ति माना है तथा उनका यह निष्कर्ष ऐसी संपत्ति जो विरासत में प्राप्त होती है उस पर भू-धारक की मृत्यु उपरांत उसके विधिक वारिसानों का हक माना जाता है। प्रकरण में तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय समवर्ती हैं, ऐसी स्थिति में इस प्रकरण में हस्तक्षेप का कोई आधार न होने से यह निगरानी ग्राह्यता के स्तर पर ही निरस्त की जाती है। **प्रशासकीय सदस्य**	